शहर में जलसंकट गहराया, सरकारी और निजी बोरिंग सूखे, लोग हो रहे परेशान

645 पानी के टैंकर और 430 एमएलडी नर्मदा का पानी, फिर भी प्यासा है इंदौर

पीपुल्स संवाददाता • इंदौर
मो.नं. 9584460010

इंदौर में इस बार गर्मी बढ़ते ही जलसंकट ने विकराल रूप ले लिया है। शहर में निजी और सरकारी मिलाकर 1200 से ज्यादा बोरवेल सूख चुके हैं, जबकि करीब 3000 बोरवेलों में पानी का स्तर तेजी से नीचे चला गया है। हालात ऐसे हैं कि नगर निगम को पानी सप्लाई के लिए 645 टैंकर मैदान में उतारने पड़े हैं, लेकिन इसके बावजूद लोगों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है। नर्मदा परियोजना के तीन चरण पूरे होने के बाद भी शहर की प्यास नहीं बूझ पा रही। वर्तमान में इंदौर को नर्मदा से प्रतिदिन लगभग 430 एमएलडी पानी मिल रहा है और चौथे चरण का काम भी शुरू हो चुका है, लेकिन जलसंकट कम होने का नाम नहीं ले रहा।

83 और 84 में 17 पानी के टैंकर लगाए- नगर निगम के आंकड़ों के अनुसार वार्ड 29, 34, 37, 36, 12, 16, 17, 18, 19, 24, 28, 52, 54, 63, 80, 83 और 84 में सबसे ज्यादा टैंकर चलाए जा रहे हैं। इन क्षेत्रों में 10 से 17 पानी टैंकर तक पानी सप्लाई कर रहे हैं। बाकी 72 वार्डों में 1 से 9 टैंकरों के जरिए जलापूर्ति की जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिन क्षेत्रों में नर्मदा लाइन नहीं पहुंची है, वहां स्थिति बहुत खराब है।


बच्चे से लेकर बड़े-बुजुर्ग तक पानी के लिए हो रहे परेशान।


एक टैंकर कई ड्रम... ये स्थिति शहरभर में बनी हुई है, जिससे लोग परेशान हो रहे हैं।

भूजल स्तर लगातार गिर रहा

गर्मी का तापमान 43 डिग्री के पार पहुंचते ही शहर का वाटर लेवल तेजी से गिरने लगा है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड पहले ही इंदौर को रेड जोन घोषित कर चुका है, लेकिन इसके बावजूद शहर में धड़ल्ले से नए बोरवेल किए जा रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि रेन वाटर हॉर्वेस्टिंग और भूजल रिचार्जिंग पर गंभीरता से काम नहीं होने का परिणाम अब सामने आ रहा है। हर साल गर्मी में बड़ी संख्या में बोरवेल सूख जाते हैं।


हद हो गई... एक तो पानी नहीं, ऊपर से इस तरह बर्बादी!

नर्मदा परियोजना पर उठने लगे सवाल

नर्मदा के तीसरे चरण के बाद नगर निगम जलप्रदाय विभाग ने दावा किया था कि शहर में पानी की कमी खत्म हो जाएगी और टैंकरों की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हर साल गर्मियों में टैंकरों के सहारे पानी सप्लाई करना पड़ रहा है। अब सवाल यह भी उठ रहे हैं कि कई वार्डों में लगातार चार-पांच बार पार्षद चुने जाने के बावजूद जल वितरण नेटवर्क क्यों नहीं सुधर पाया?

नम्बर वन शहर में पानी का संघर्ष

''दो दिन में एक बार पानी आता है। सुबह चार बजे उठकर लाइन लगानी पड़ती है। कई बार टैंकर आता ही नहीं।''
- सीमा चौहान, निवासी वार्ड-17

''हमारा बोरवेल अप्रैल में ही सूख गया। अब पूरी कॉलोनी टैंकर के भरोसे है। गर्मी बढ़ेगी तो हालात और खराब होंगे।''
- अजय यादव, निवासी वार्ड 37

''नगर निगम 24 घंटे पानी देने का सपना शहर दिखा रहा है, लेकिन हम बूंद-बूंद के लिए टैंकर के भरोसे हैं, सभी वादे केवल कागजी हैं।''
- नीलम वर्मा, निवासी वार्ड 83

''जब तक शहर में बड़े स्तर पर रेन वाटर हॉर्वेस्टिंग अनिवार्य नहीं होगी, तब तक हर साल यही स्थिति बनेगी। 11 मई, 2026 को इंदौर का तापमान 43 डिग्री क्रॉस कर गया है। शहर में हरियाली को जो विनाश हुआ है, इसका यह परिणाम है। अब तापमान कम करना तो युद्ध स्तर पर पौधे लगाने होंगे और उन्हें जीवित रखना होगा।''
- ओपी जोशी, पर्यावरणविद्

''इंदौर शहर का विस्तार तेजी हो रहा है। खाली कॉलोनियों में भवन निर्माण तेजी से हो रहा है, इसलिए पानी खपत बढ़ गई है। हमारा प्रयास है सभी को पानी मिले। इस वर्ष रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ी रही है। हमें सबसे अधिक 645 पानी के टैंकर चलाने पड़ रहे हैं। शहर को गंभीर संकट से बचाने का प्रयास किया जा रहा है।''
- पुष्यमित्र भार्गव, महापौर

एनएसए में बंद बदमाश चिकना को हाईकोर्ट से मिली राहत, कलेक्टर का आदेश किया रद्द

कोर्ट ने कहा- आदेश में नजरबंदी की अवधि लिखना जरूरी

पीपुल्स संवाददाता • इंदौर
मो.नं. 9981382813

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत बंद बदमाश इमरान गोरी उर्फ चिकना उर्फ पंक्चर को राहत देते हुए उसके खिलाफ जारी निरुद्धीकरण आदेश रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी शुरुआती आदेश में नजरबंदी की अवधि का उल्लेख नहीं किया गया था, जबकि यह कानून के तहत जरूरी है। यह आदेश न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला और न्यायमूर्ति आलोक अवस्थी की खंडपीठ ने 6 मई, 2026 को पारित किया। याचिका इमरान गोरी की ओर से दायर की गई थी।

याचिका के अनुसार... इंदौर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने 4 अगस्त, 2025 को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत इमरान गोरी को सेंट्रल जेल इंदौर में निरुद्ध करने का आदेश जारी किया था। बाद में 22 जनवरी, 2026 को उसकी नजरबंदी की अवधि तीन महीने बढ़ाकर 15 मई, 2026 तक कर दी गई थी। राज्य सरकार ने भी इस आदेश को मंजूरी दी थी। इसके बाद एडवाइजरी बोर्ड की स्वीकृति मिलने पर निरुद्धीकरण की अवधि बढ़ाई गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आशुतोष शर्मा ने दलील दी कि शुरुआती आदेश में यह नहीं लिखा गया कि आरोपी को कितने समय तक निरुद्ध रखा जाएगा, जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में यह स्पष्ट रूप से जरूरी है।



बाद का आदेश शुरुआती गलती नहीं सुधार सकता

हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून आदेश में अवधि का उल्लेख करना अनिवार्य है। कोर्ट ने कहा कि जिला दंडाधिकारी के 4 अगस्त, 2025 के आदेश में यह अवधि नहीं लिखी गई थी, इसलिए आदेश शुरुआत से ही दोषपूर्ण था। खंडपीठ ने कहा कि बाद में जारी विस्तार आदेश से इस मूल त्रुटि को ठीक नहीं किया जा सकता। अदालत ने माना कि यह खामी तकनीकी नहीं, बल्कि मूल और अधिकार क्षेत्र से जुड़ी है। हाईकोर्ट ने 4 अगस्त, 2025 का निरुद्धीकरण आदेश और 22 जनवरी, 2026 का विस्तार आदेश सहित सभी संबंधित आदेश रद्द कर दिए, साथ ही निर्देश दिया कि यदि इमरान गोरी किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है तो उसे तुरंत रिहा किया जाए।

अंगदान जागरूकता के लिए आगे आए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स

इंदौर। अंगदान और देहदान के प्रति सामाजिक जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की विशेष बैठक संभागायुक्त डॉ. सुदाम खाड़े की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित की गई। बैठक में इंदौर में अंगदान और देहदान से जुड़े कार्यों, प्रक्रिया और उपलब्धियों पर विस्तार से डॉ. खाड़े ने कहा कि अंगदान और देहदान एक पवित्र कार्य है, जिससे जरूरतमंद लोगों को नया जीवन मिलता है। उन्होंने बताया कि इंदौर मध्यप्रदेश में अंगदान और देहदान के मामलों में अग्रणी शहर बन चुका है। यहां एयर एम्बुलेंस और ग्रीन कॉरिडोर जैसी सुविधाओं ने अंग प्रत्यारोपण प्रक्रिया को और प्रभावी बनाया है। उन्होंने कहा कि अंगदान करने वाले परिवारों को 'गार्ड ऑफ ऑनर' देने की शुरुआत के बाद मामलों में 25 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई है। बैठक में मुस्कान ग्रुप के संदीपन आर्य ने बताया कि इंदौर में अब तक 67 ग्रीन कॉरिडोर बन चुके हैं।

सीयूईटी यूजी शुरू, जुलाई अंत तक शुरू हो सकती है काउंसलिंग

पीपुल्स संवाददाता • इंदौर
मो.नं. 9009585701

सीयूईटी यूजी 2026 की शुरुआत सोमवार से हो गई। देशभर की यूनिवर्सिटी में स्नातक और इंटीग्रेटेड कोर्स में प्रवेश के लिए आयोजित हो रही इस परीक्षा में हजारों विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं। डीएवीवी में भी इस वर्ष 28 अंडर ग्रेज्यूएट और इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स में प्रवेश सीयूईटी के जरिए दिए जाएंगे। परीक्षा मई के अंत तक अलग-अलग चरणों में आयोजित होगी। जुलाई अंत तक डीएवीवी में काउंसलिंग शुरू हो सकती है।

विश्वविद्यालय के शिक्षण विभागों में संचालित कोर्सों के लिए इस बार एक लाख से अधिक आवेदन आने की संभावना है। प्रवेश प्रक्रिया के तहत इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज (आईआईपीएस), इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज (आईएमएस) स्कूल ऑफ लॉ, स्कूल ऑफ कॉमर्स, स्कूल ऑफ कम्प्यूटर साइंस, स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जर्नलिज्म और ईएमआरसी विभागों के कोर्स शामिल हैं।

प्रमुख पाठ्यक्रमों में बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, बीए जियोग्राफी, बीए सोशियोलॉजी, बीए एलएलबी, बीकॉम, बीकॉम ऑनर्स, बीबीए एविएशन, बीसीए और बीफार्मा शामिल हैं, वहीं एमबीए ई-कॉमर्स, एमबीए टूरिज्म, एमबीए फॉरेन ट्रेड, एमबीए एमएससी, एमएससी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और पांच वर्षीय एमटेक प्रोग्राम भी सीयूईटी आधारित प्रवेश प्रक्रिया का हिस्सा हैं। सीयूईटी चेयरमैन डॉ. राजेश शर्मा के अनुसार एनटीए जून अंत या जुलाई के पहले सप्ताह तक परिणाम घोषित कर सकता है। इसके करीब तीन सप्ताह बाद विश्वविद्यालय को मेरिट सूची मिलने की संभावना है। प्रवेश प्रभारी प्रो. बीके त्रिपाठी ने बताया कि नॉन-सीयूईटी कोर्सों की प्रवेश प्रक्रिया भी विभागीय बैठक के बाद जल्द पूरी की जाएगी।

आसमान से बरस रही आग, पारा 43 पार, लोग हलाकान

इंदौर। मई के दूसरे सप्ताह की शुरुआत के साथ ही भीषण गर्मी ने लोगों को बेहाल करना शुरू कर दिया है। पारा लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है और सोमवार इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। शहर का अधिकतम तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से तीन डिग्री अधिक है। शुरुआती दिनों में मिली मामूली राहत अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है और सूरज लगातार आग उगल रहा है। तेज धूप और गर्म हवा के कारण दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा नजर आने लगा है। पिछले तीन दिनों से तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 41.2 डिग्री सेल्सियस था, जो शनिवार को बढ़कर 42 डिग्री तक पहुंच गया। रविवार को भी गर्मी का असर कायम रहा और दिन का तापमान 41.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। दोपहर 12 से शाम 4 बजे के बीच सबसे ज्यादा तपिश महसूस की जा रही है। तेज धूप के कारण दोपहिया वाहन चालकों और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिन के साथ अब रातें भी गर्म होने लगी हैं। रविवार रात न्यूनतम तापमान 24.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक प्रदेश में सक्रिय ट्रफ लाइन और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। सीनियर मौसम वैज्ञानिक डॉ. दिव्या ई. सुरेंद्रन ने 12 और 13 मई को पश्चिमी मध्यप्रदेश में लू चलने की संभावना जताई है।

विशेषज्ञों ने समझाई अंडरग्राउंड केबलिंग की तकनीक

पीपुल्स संवाददाता • इंदौर
editor@peoplessamachar.co.in

मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर के प्रबंध निदेशक अनूपकुमार सिंह के निर्देश एवं मुख्य महाप्रबंधक प्रकाशसिंह चौहान के मार्गदर्शन में अंडरग्राउंड केबल पर एक दिनी ट्रेनिंग का आयोजन सोमवार को पोलोग्राउंड सभागार में हुआ। इसमें विषय विशेषज्ञों प्रदीप रामरखियानी, अरूण साहू ने देश विदेश में अंडरग्राउंड केबल स्थापना कार्य, मैंटेनेंस, रखी जाने वाली सावधानियों इत्यादि को लेकर महत्वपूर्ण बातें रखीं। इस दौरान इंदौर, महू, उज्जैन इत्यादि शहरों के इंजीनियरों ने वक्ताओं से अपनी जिज्ञासाओं को लेकर प्रश्न पूछकर समाधान कारक जवाब लिया।

समाधान योजना में चार दिन शेष, लाभ लेने की अपील

इंदौर। राज्य शासन की तीन माह या अधिक समय के बकाया बिल वाले उपभोक्ताओं के लिए लागू समाधान योजना की अंतिम तिथि 15 मई अत्यंत करीब है। योजना लाभ के लिए मात्र चार दिन शेष हैं। मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बकायादार उपभोक्ताओं से योजना में शामिल होकर मूल बिल राशि जमा कराने एवं सरचार्ज में 90 प्रतिशत तक छूट का लाभ लेने की अपील की है। योजना में अब तक 9.40 लाख उपभोक्ताओं ने छूट लाभ लिया है, इन्हें 41.25 करोड़ से ज्यादा की छूट मिली है, जबकि कंपनी को लगभग 313 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। योजना में सबसे ज्यादा लाभान्वित इंदौर जिला 1 लाख 1 हजार से ज्यादा उपभोक्ता हैं।

मनमंदिर सिनेमा किया सील, इंस्टा मार्ट पर ठोंका गया 50 हजार रु. का जुर्माना

निगम की सख्त कार्रवाई, खुले में गंदगी फैलाने वालों को दी चेतावनी

पीपुल्स संवाददाता • इंदौर
मो.नं. 9584460010

इंदौर में स्वच्छता नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई लगातार जारी है। निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल के निर्देश पर सोमवार को ग्रैविटी मॉल भमोरी क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए मनमंदिर सिनेमा घर के सामने और इंस्टा मार्ट ग्रोसरी स्टोर द्वारा खुले स्थान पर गंदगी फैलाने तथा नाले में कचरा डालने पर सख्त कदम उठाए गए। कार्रवाई के दौरान सीएसआई सौरभ साहू, एआरओ अभय त्रिपाठी और सहायक सीएसआई योगेंद्र त्रिवेदी की टीम ने मनमंदिर सिनेमा घर को सील कर दिया, वहीं इंस्टा मार्ट ग्रोसरी स्टोर पर 50 हजार रुपए का अर्थदंड वसूला गया।


खुले में गंदगी करने पर सख्त कार्रवाई के साथ निगम कड़े कदम उठा रहा है।

कचरा केवल निगम की कचरा गाड़ी में ही डालें

कार्रवाई के दौरान टीम म्यूज फाउंडेशन द्वारा संबंधित प्रतिष्ठानों और आसपास के लोगों को समझाइश भी दी गई। अधिकारियों ने स्पष्ट कहा कि शहर में कहीं भी खुले स्थान या नालों में कचरा फेंकने वालों के खिलाफ लगातार चालानी कार्रवाई की जाएगी। टीम ने सभी से अपील की कि वे कचरा केवल निगम की कचरा गाड़ी में ही डालें।

स्वच्छ सर्वेक्षण को लेकर निगम सख्त

नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि आगामी स्वच्छ सर्वेक्षण को देखते हुए शहरभर में सफाई व्यवस्था को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और संस्थानों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।

स्वच्छ सर्वेक्षण को लेकर निगम अलर्ट, निगमायुक्त ने की व्यवस्थाओं की समीक्षा

एसबीएम की गाइडलाइन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं: सिंघल

पीपुल्स संवाददाता • इंदौर
मो.नं. 9584460010

स्वच्छ सर्वेक्षण को लेकर नगर निगम ने तैयारियां तेज कर दी हैं। सोमवार को निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने विभागीय अधिकारियों के साथ शहर के विभिन्न क्षेत्रों का औचक निरीक्षण कर स्वच्छता व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) की गाइडलाइन में लापरवाही बर्दाशत नहीं होगी।

निरीक्षण के दौरान चोइथराम सब्जी मंडी, फ्रूट मंडी, चोइथराम प्लांट, कबीटखेड़ी, राजकुमार ब्रिज, मधुमिलन चौराहा और रीगल चौराहा सहित विभिन्न क्षेत्रों का जायजा लिया गया। आयुक्त सिंघल ने सफाई व्यवस्था, रंगाई-पुताई, हरियाली और सार्वजनिक सुविधाओं की स्थिति का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्वच्छ सर्वेक्षण की गाइडलाइन के अनुरूप सभी व्यवस्थाएं तय समय-सीमा में पूरी की जाएं।



निगम आयुक्त ने अधिकारियों के साथ विभिन्न क्षेत्रों का औचक निरीक्षण किया।

सुविधाओं और हरियाली पर भी नजर- निरीक्षण के दौरान निजी स्कूलों में दिव्यांग के लिए बनाए गए शौचालयों की स्थिति भी देखी गई। इसके अलावा फ्लाई ओवरों के आसपास विकसित हरियाली, साफ-सफाई और सौंदर्यीकरण कार्यों का भी जायजा लिया गया।

3 आर सेंटर और एमआरएफ प्लांट पर विशेष फोकस

निरीक्षण के दौरान शहर में संचालित सीटीपीटी, 3 आर सेंटर, एमआरएफ प्लांट और बीडब्ल्यूजी यूनिट की व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की गई। कबीटखेड़ी और राजकुमार ब्रिज स्थित 3 आर सेंटर पर सफाई व्यवस्था में सुधार के निर्देश दिए गए। आयुक्त ने अधिकारियों से कहा कि सभी 3 आर सेंटर और एमआरएफ प्लांट पर पर्याप्त स्वच्छता और सुव्यवस्थित व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। अनुपयोगी सामग्री के निष्पादन की कार्रवाई भी लगातार जारी रखने के निर्देश दिए गए।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra
भारत सरकार का उद्यम
एक परिवार एक बैंक
अंचल कार्यालय : महाराष्ट्र साहित्य सभा भवन, 688, म.गां. मार्ग, इन्दौर, फोन नं. 0731-2433887
E-mail : cmfsmc_ind@bankofmaharashtra.bank.in
प्रधान कार्यालय : लोकमंगल 1501, शिवाजी नगर, पुणे

मांग सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के नियम 3(1) के अंतर्गत मांग सूचना (सरफेसी एक्ट)

बैंक ऑफ महाराष्ट्र, संबंधित शाखा के माध्यम से प्राप्त किये गये ऋण जो कि एन.पी.ए. हो चुका है व जिसमें निम्न वर्णित दिनांक को निम्न वर्णित बकाया राशि शेष थी, उसकी विस्तृत मांग सूचना निम्नवर्णित ऋणियों एवं जमानतदारों को सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के तहत मांग सूचना निम्न वर्णित दिनांक को पंजीकृत डाक एवं स्पीड पोस्ट पावती सहित आपको भेजी गई थी, जो कि वापस हुई। इसलिए इस प्रकाशन के द्वारा नोटिस देते हुए आप सभी संबंधितों को अवगत किया जाता है, कि निम्न वर्णित उधारकर्ताओ / जमानतदारों को एतद् द्वारा **बैंक ऑफ महाराष्ट्र, संबंधित शाखा** में इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों की अवधि के भीतर निम्न वर्णित बकाया राशि साथ ही अतिरिक्त ब्याज, लागत अनुषंगिक व्यय, प्रभार इत्यादि अदा करने के लिये सूचित करते हैं। बैंक के दस्तावेजों एवं करार के अनुसार ऋणी की सुरक्षित आस्तियां **बैंक ऑफ महाराष्ट्र,** के प्रभार के अधीन है। उधारकर्ताओं को एक्ट की धारा 13 एवं उपधारा 8 के प्रावधान के अन्तर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के एवज में उपलब्ध समय की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

क्रं.	ऋणी एवं जमानतदार का नाम एवं पता	बंधक सम्पत्ति का विवरण	क्रेडिट सुविधा का प्रकार एवं राशि	बकाया राशि मांग सूचना दिनांक
	कोदरिया शाखा			
01.	1. मेसर्स कनक फूड प्रोडक्ट्स (प्रोपराईटर: श्रीमती कल्पना पति भगवती प्रसाद) पता: 762, लोधी मोहल्ला, कोदरिया, महू, इंदौर 453441 2. श्रीमती कल्पना पति भगवती प्रसाद पता: प्लॉट नंबर 13, सरदार पटेल कॉलोनी, तहसील महू, डाकघर- राव, जिला: इंदौर, म. प्र., पिन कोड: 453441 3. श्री भगवती प्रसाद पिता चंदेर सिंह पता: प्लॉट नंबर 13, सरदार पटेल कॉलोनी, तहसील महू, डाकघर- राव, जिला: इंदौर, म. प्र., पिन कोड: 453441	1. प्राथमिक सुरक्षा:- स्टॉक और बही खाते के ऋणों का बंधक, सरसाई आईडी: - 200025029544 स्टॉक और बही खाते के ऋणों के लिए 2. संपत्ति एस नम्बर 49/1/मिन-1, ग्राम कोदरिया, महू, इंदौर (म. प्र.) 453441, क्षेत्रफल 3121 वर्ग फुट, संपत्ति मालिक: श्री भगवती प्रसाद पिता चंदेर सिंह, संपत्ति की चतुर्सीमा इस प्रकार हैं- उत्तर दिशा में - रास्ता, पूर्व दिशा में - एस नम्बर 59 की भूमि, पश्चिम दिशा में - रास्ता, दक्षिण दिशा में - एस नम्बर 49/1 की शेष भूमि। सरसाई आईडी: - 200016776202	क्रेडिट फेसिलिटी खाता नं. - 60195234664 एनपीए दिनांक - 16.04.2026	दिनांक 04.05.2026 को वर्तमान बकाया राशि लेजर बैलेंस : 64,91,227.40 उपार्जित ब्याज : 1,89,976.00 दंडात्मक ब्याज एवं अन्य शुल्क : 9,920.00 कुल रु. : 66,91,123.40 कुल बकाया रु. 66,91,123.40 + देय दर से अप्रभारित ब्याज एवं पेनल ब्याज + दिनांक 04.05.2026 से अन्य खर्चे मांग सूचना पत्र की दिनांक : 04.05.2026

उपरोक्त ऋणी / जमानतदारों यदि 60 दिवस के अन्दर **बैंक ऑफ महाराष्ट्र** का बकाया चुकाने में असफल रहते हैं तो उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के प्रावधानों के तहत तभी या किसी एक या अधिक रक्षित आस्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही, उधारकर्ता की रक्षित आस्तियों को कब्जे में लेने तथा उनका विक्रय करने की कार्यवाही करेगी। इसके अतिरिक्त आप सरफेसी अधिनियम की धारा के तहत उक्त रक्षित आस्तियों का या तो विक्रय का लीज करने इत्यादि के द्वारा अन्तरण करने और किसी अन्य प्रकार बाधा डालने से प्रतिबंधित हैं। विस्तृत मांग नोटिस की प्रति हेतु बैंक की संबंधित शाखा से संपर्क करें।

स्थान: इंदौर, दिनांक : 12.05.2026
प्राधिकृत अधिकारी, **बैंक ऑफ महाराष्ट्र**

JANA SMALL FINANCE BANK
(A Scheduled Commercial Bank)
रजिस्टर्ड ऑफिसः द फेयरवे, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर, सर्वे नंबर 10/1, 11/2 और 12/2B, डोमलूर के पास, कोरमंगला इनर रिंग रोड, EGL बिजनेस पार्क के बगल में, चल्लाघट्टा, बैंगलोर-560071 शाखा कार्यालयः प्लॉट नं. 306-A, PU 4, स्कीम नं. 54, कंट्री इन होटल के पास, मुख्य अ.इ. रोड, विजय नगर, इंदौर-452010.

सरफेसी एक्ट, 2002 की धारा 13(2) के तहत डिमांड नोटिस

जबकि आप, नीचे बताए गए उधारकर्ता, सह-उधारकर्ता, गारंटर और बंधनकर्ता ने अपनी अचल संपत्तियों को गिरवी रखकर जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड से लोन लिया है। आप सभी द्वारा डिफॉल्ट करने के कारण, आपके लोन अकाउंट को नॉन-परफॉर्मिंग एसेट के रूप में क्लासिफाई किया गया है, जबकि जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड इस एक्ट के तहत एक सिक्योर्ड क्रेडिटर है, और उक्त एक्ट की धारा 13(2) के तहत दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, जिसे सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एनफोर्समेंट) रूल्स 2002 के नियम 2 के साथ पठित, कॉलम नंबर 2 में बताए गए उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/ गारंटर और बंधनकर्ता को नोटिस में बताई गई राशि को नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर भविष्य के ब्याज के साथ चुकाने के लिए डिमांड नोटिस जारी किया, लेकिन अलग-अलग कारणों से उनमें से कुछ को नोटिस नहीं दिए जा सके।

स. क्र.	उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता /गारंटर/बंधककर्ता का नाम	ऋण खाता संख्या और ऋण राशि	लागू की जाने वाली सुरक्षा का विवरण	एनपीए की तारीख और डिमांड नोटिस की तारीख	देय राशि रुपये में / के अनुसार
1	1) श्री मोहम्मद इब्राहिम पिता मो उमर एवं 2) श्रीमती मोहम्मदी पति मो इब्राहिम	लोन अकाउंट नंबर 45529440000405 लोन की रकमः Rs. 10,00,000/-	अचल संपत्तिः जमीन का वह पूरा टुकड़ा और हिस्सा, जिसका म्युनिसिपल हाउस नंबर 32-A (पुराना) और नया नंबर 36 है, जिसका क्षेत्रफल 787.50 वर्ग फुट (73.18 वर्ग मीटर) है, जिस पर निर्माण भी मौजूद है; यह ब्लॉक नंबर 17 का दक्षिणी हिस्सा है, जो शास्त्री नगर कॉलोनी में स्थित है, और नगर निगम इंदौर, तहसील और ज़िला इंदौर (म.प्र.) की सीमाओं के अंतर्गत आता है। इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व में: सड़क, पश्चिम में: गली, उत्तर में: गनी भाई का मकान, और दक्षिण में: यासीन भाई बेंडवाले का मकान।	03-04-2026 & 08-05-2026	रु. 7,72,888.54 /- (सात लाख बहत्तर हजार आठ सौ अट्ठासी रुपये और चौवन पैसे मात्र) दिनांक 28.04.2026 को
2	1) श्री नितेश पिता सुरेश चंद्रा, 2) श्री पप्पू पिता सुरेश चंद्रा एवं 3) श्रीमती लक्ष्मी बाई पति सुरेश चंद्र	लोन अकाउंट नंबर 45579440000800 एवं 45579410000471 लोन की रकमः Rs. 6,04,000/-	अचल संपत्तिः जमीन का वह पूरा टुकड़ा और हिस्सा, जिसका प्लॉट/हाउस नंबर 57 है, जिसका क्षेत्रफल 900 वर्ग फुट (83.6127 वर्ग मीटर) है, जिस पर निर्माण भी मौजूद है; यह सर्वे नंबर 214 का एक हिस्सा है, जो ग्राम-मोलाखेड़ी, पीएच नंबर 70 में स्थित है, और ग्राम पंचायत खजुरिया कुमावत, तहसील और ज़िला उज्जैन (म.प्र.) की सीमाओं के अंतर्गत आता है। इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व में: भेरूलालजी का मकान, पश्चिम में: स्वयं की जमीन और आम सड़क, उत्तर में: मोहनलाल का मकान, और दक्षिण में: गणपतजी का मकान।	01-02-2026 & 08-05-2026	रु. 4,13,789/- (चार लाख तेरह हजार सात सौ नवासी रुपये मात्र) दिनांक 28.04.2026 को
3	1) श्री पूना मन्ना पिता नारायण मीना & 2) श्रीमती सावित्री बाई मीना पति पूना	लोन अकाउंट नंबर 45580430000337 लोन की रकमः Rs. 3,50,000/-	अचल संपत्तिः जमीन का वह पूरा टुकड़ा और हिस्सा, जिसका प्लॉट/हाउस नंबर 68 है, जिसका कुल क्षेत्रफल 1410 वर्ग फुट (131 वर्ग मीटर) है, जिस पर निर्माण भी मौजूद है; यह सर्वे नंबर 397 का एक हिस्सा है, जो ग्राम-माचुन, तहसील पिपलोदा और ज़िला रतलाम (म.प्र.) में स्थित है। इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व में: लक्ष्मण (बलराम के पुत्र) के प्लॉट नंबर 67 पर बना मकान, पश्चिम में: दुर्गाबाई (बगदीराम मीणा की पत्नी) के प्लॉट नंबर 69 पर बना मकान, उत्तर में: सड़क, और दक्षिण में: सड़क।	03-03-2026 & 08-05-2026	रु. 3,59,266.91 /- (तीन लाख उनसठ हजार दो सौ छियासठ रुपये और इक्यानवे पैसे मात्र) दिनांक 28.04.2026 को
4	1) श्री शेरसिंह राजपूत पिता मुकन सिंह, 2) श्री मुकन सिंह पिता भुवन सिंह एवं 3) श्रीमती राजकुंवर पति मुकन सिंह	लोन अकाउंट नंबर 32769630000440, 32769410000670 & 48990510000202 लोन की रकमः Rs. 3,69,000/-	अचल संपत्तिः भूमि का वह संपूर्ण टुकड़ा/भूखंड, जिस पर मकान/प्लॉट क्रमांक 144 स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 600 वर्ग फुट है, तथा जिस पर निर्माण कार्य भी किया गया है; यह खसरा क्रमांक 519 का एक भाग है, जो ग्राम - डेलची खुर्द, P.H. क्रमांक 20 में स्थित है, तथा ग्राम पंचायत डेलची खुर्द, जनपद पंचायत महिदपुर, तहसील महिदपुर एवं जिला उज्जैन (म.प्र.) की सीमाओं के अंतर्गत आता है। इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्व में: खाली भूमि, पश्चिम में: पालीवाल का मकान, उत्तर में: प्रताप सिंह, और दक्षिण में: खाली भूमि।	02-04-2026 & 08-05-2026	रु. 1,75,659/- (एक लाख पचहत्तर हजार छह सौ उनसठ रुपये मात्र) दिनांक 28.04.2026 को

इसलिए कॉलम नंबर 2 में बताए गए उधारकर्ता, सह-उधारकर्ता, गारंटर और बंधनकर्ता को यह नोटिस दिया जाता है, जिसमें उनसे कॉलम नंबर 6 में दिखाई गई कुल रकम का पेमेंट करने के लिए कहा गया है, इस नोटिस के पब्लिकेशन के 60 दिनों के अंदर, क्योंकि यह रकम कॉलम नंबर 6 में बताई गई तारीख तक संबंधित लोन अकाउंट के संबंध में देय पाई गई है। यह साफ किया जाता है कि अगर कुल रकम, साथ ही भविष्य का ब्याज और अन्य रकम जो पेमेंट की तारीख तक देय हो सकती है, का पेमेंट नहीं किया जाता है, तो जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड कॉलम नंबर 4 में बताई गई प्रॉपर्टी पर सिक्योरिटी इंटरेस्ट को लागू करने के लिए उचित कार्रवाई करने के लिए मजबूर होगा। कृपया ध्यान दें कि यह पब्लिकेशन ऐसे अधिकारों और उपायों पर बिना किसी पूर्वाग्रह के किया गया है जो कानून के तहत उक्त फाइनेंस के उधारकर्ता, सह-उधारकर्ता, गारंटर और बंधनकर्ता के खिलाफ जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड को उपलब्ध हैं, आपसे यह भी अनुरोध है कि कृपया ध्यान दें कि उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, आपको सिक्योर्ड क्रेडिटर की पूर्व सहमति के बिना उपरोक्त सिक्योरिटी को बेचने या उससे निपटने या बिक्री, लीज या किसी अन्य तरीके से सिक्योर्ड एसेट को ट्रांसफर करने से रोका गया है।

तारीखः 11.05.2026, स्थानः इन्दौर
हस्ते/- अधिकृत अधिकारी, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के लिए